

04/12/19

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील अनु.। चूंकि मूल वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज हो चुका है। अतः आवेदन में आगे की कार्यवाही का कोई ओचित्य नहीं रहता है। अतः आवेदन में आगे की कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाकर आवेदन खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से कम हो।

2/12/19
सहायक कलक्टर
खोहटन

